तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफ0 47/2017 तहसीलदार रूपवास बनाम लखमीचंद
8.6.2018	आज पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में तहसीलदार रूपवास द्वारा लखमीचंद पुत्र सुक्खीलाल कौम वैश्य निवासी रूपवास तहसील रूपवास को पक्षकार बनाया गया है। जिसकी तलबी हेतु पत्रांक 1085 दिनांक 14.12.2017, 263/23.2.2018, 344/9.3.2018 जारी किया गये चूंकि रैफरेंस में गैर सायल के निवास का पता केवल रूपवास अंकित था लिहाजा सम्मन तामील होने में काफी समय व्यतीत हुआ। पत्रांक 344 दिनांक 9.3.2018 बाद तामील सम्मन प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। सम्मन पर तामील कुनिन्दा की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित है कि'' लखमीचंद पुत्र सुक्खा जाति वैश्य निवासी रूपवास फौत हो चुका है। स्वर्गवास हो चुका है'' तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गैर सायल मृत हो चुका है। साथ ही सम्मन को तहसीलदार रूपवास द्वारा अग्रेषित किया गया है। जो इस प्रकरण में स्वयं प्रार्थी भी है। मौजूदा सम्मन पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से यह बात साफ हो जाती है कि अप्रार्थी जिसके खिलाफ यह रैफरेंस पेश किया गया है वह फौत हो चुका है। मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद पेश किया जाना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। वकील प्रार्थी/पैरोकार सरकार द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत अथवा उज्रदारी पेश नहीं की गई जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी की मौत प्रस्तुत रैफरेंस के बाद हुई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित नियमों के अंतर्गत किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद दायर करना न्याय संगत न होने के कारण चलने योग्य नहीं रहता है। अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रूपवास को हिदायत दी जाती है कि वे प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मृतक गैर सायलान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुये नये सिरे से नियमानुसार पुनः रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर